



बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एकमुश्त ₹10,000/- (दस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

2. पात्र लाभुकों को ऑनलाईन प्रोत्साहन की राशि उनके खाते में अन्तरित करने हेतु NIC द्वारा एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2019 में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं का जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अंकित है।
3. सभी पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे NIC के द्वारा विकसित ऑनलाईन पोर्टल को खोलकर अपने से संबंधित सभी सूचनाओं की जाँच कर लें कि अंकित सूचनाएँ सही हैं अथवा नहीं। इसके अलावा उक्त पोर्टल में Login करने के पश्चात् रिक्त कॉलम में वांछित सूचनाओं यथा अपना बैंक खाता नं0, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा अविवाहित होने संबंधी सूचना आदि को अंकित किया जाना है।
4. ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए एवं यह खाता राश्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अवस्थित किसी शाखा में हो।
5. सभी वांछित सूचनाएँ NIC के ऑनलाईन पोर्टल www.ekalyan.bih.nic.in/edubihar.aspx को खोलकर इंटरनेट के माध्यम से अंकित की जा सकती है। इस पोर्टल को Login करने के लिए छात्रा / लाभुक के पास अपना इन्टरमीडिएट का पंजीयन संख्या के साथ जन्मतिथि अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा 2019 के कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी।
6. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु हेल्पडेस्क नं0— 06122215323 पर सम्पर्क किया जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं0—8292825106, 7004360147, 8986294256 एवं ईमेल— mkuy.nic@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक (मा० शि०)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR No. 004437(Education) 2019-20

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के संबंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें